

01(138)/2021

729/23-25



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक— 2299 /12-1 : देहरादून: दिनांक:

28 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय— जनपद—उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्थालीसौड़ के अंतर्गत चिन्थालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में।

संदर्भ— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक—8बी/यू. सी.पी. /06/132/2021/एफ.सी./., दिनांक—22.02.2024 । (41009/2019)

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं0 1703/12-1, दिनांक—18.02.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक—06.02.2025(प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Administrative approval uploaded online is of 2014. State Government shall re-validate the same and upload new administrative approval.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश पुनः सत्यापन करवाने का प्राविधान नहीं है। जिस कारण उक्त शासनादेश सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं है।
	The State Govt. Submitted that path distance of village is 1.5 km. Further state that vertical height 150-200 meter. However, on perusal of KML file, the height appears to be less tan 100 meters. It shall be clarified.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त के अनुपालन में वन विभाग तथा प्रयोक्ता विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्थालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी0पी0एस0 कॉर्डिनेटस क्रमशः 1617 मी0 एवं 30°32'48"N, 78°24'04"E पाई गई, इसी क्रम में गोरुण गांव के प्रारम्भिक बिन्दु का चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी0पी0एस0 कॉर्डिनेटस क्रमशः 1503 मी0 एवं 30°32'42"N, 78°24'55"E पायी गयी जिससे स्पष्ट होता है कि चिन्थालीसौड़—जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर है।(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है)संलग्नक—01
3	A detailed map showing the location of the village exisiting road and the distance between them shall be submitted.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त शर्त के अनुपालन में मौजूदा मोटर मार्ग (चिन्थालीसौड़— जोगथ मोटर मार्ग) एवं गोरुण गांव को प्रदर्शित करती हुयी गूगल फोटोप्राफस संलग्न है।(संलग्नक—02)

U.S(F-3)

25/03/25
(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव
वन एवं प्रोटोकाल विभाग
उत्तराखण्ड शासन

AS(K)Forest

कार्यालय प्रमुख सचिव

पत्र संख्या... 1675 /2025
दिनांक... 28/3 /2025

अमित कुमार भारती
संयुक्त सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तराखण्ड शासन

JS(F)

856/ASCFW/2025

श्री गणेशाय नमः

(विक्रम सिंह यादव)

24.03.2025

4	The user agency shall give detailed presentation giving justification about the proposal road on dt. 27.02.2024 at 3:00 PM in this office.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-8 बी/यू.सी.पी./06/132/2021/एफ0सी0/1491, दिनांक-22.02.2024 के माध्यम से दिनांक-27.02.2024 अपराहन 3.00 बजे चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण के संदर्भ में presentation देने के निर्देश हेतु सुचित किया गया था, किन्तु उक्त संदर्भित पत्र इस कार्यालय में दिनांक-20.09.2024 को विलम्ब से प्राप्त हुआ, जिस कारण presentation देना संभव नहीं हो पाया।
---	--	---

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2299 / 12-1/ तददिनांकित।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र संख्या-1703/12-1, दिनांक-18.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०-1800890915(टोल फ्री)

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 1703/12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक

18/02/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वारिंकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-08बी०/यू०सी०पी०/06/132/2021/एफ०सी०/1491, दिनांक 22.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर 04 बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने पत्रांक-2629/12-1 दिनांक 06.02.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, मुनि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून
पत्रांक सं० 3559
वनाधिकारी 12-1
दिनांक 18-2-25

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

पत्रांक:-

तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

साथ में प्रतिलिपि उत्तरकाशी

आवक को

पु० १० सी० पी० अधिकारी

१८-२-२०२५

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashifd@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-2623/12-1, कोटबंगला, दिनांक 06/02/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकोरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्वालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्वालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/132/2021/एफ.सी./1491, दिनांक- 22.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से विषयगत मोटर मार्ग में 04 बिन्दुओं पर आख्या चाही गई थी, जिसकी निराकरण आख्या याचक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र- 161/3एल०ए०, दिनांक- 05.02.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी बिन्दुवार निराकरण आख्या निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Administrative approval uploaded online is of 2014. State Government shall re-validate the same and upload new administrative approval.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश पुनः सत्यापन करवाने का प्राविधान नहीं है, जिस कारण उक्त शासनादेश सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं है।
2	The State Govt. submitted that path distance of village is 1.5 km. Further stated that vertical height is 150-200 meter. However, on perusal of KML file, the height appears to be less than 100 meters. It shall be clarified.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन विभाग तथा प्रयोक्ता विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्वालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी०पी०एस० कॉर्डिनेटस क्रमशः 1617 मी० एवं 30°32'48"N, 78°24'04"E पाई गई इसी क्रम में गोरुण गांव के प्रारम्भिक बिन्दु का चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी०पी०एस० कॉर्डिनेटस क्रमशः 1503 मी० एवं 30°32'42"N, 78°23'55"E पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि चिन्वालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
3	A detailed map showing the location of the village, existing road and the distance between them shall be submitted.	उक्त के अनुपालन में मौजूदा मोटर मार्ग (चिन्वालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग) एवं गोरुण गांव को प्रदर्शित करती हुई गूगल फोटोग्राफ्स संलग्न है।
4	The user agency shall give detailed presentation giving justification about the proposal road on dt. 27.02.2024 at 3:00 PM in this office.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/132/2021/एफ.सी./1491, दिनांक- 22.02.2024 के माध्यम से दिनांक- 27.02.2024 अपराहन 3:00 बजे चिन्वालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में Presentation देने के निर्देश हेतु सूचित किया गया था, किन्तु उक्त सन्दर्भित पत्र इस कार्यालय में दिनांक- 20.09.2024 को विलम्ब से प्राप्त हुआ, जिस कारण Presentation देना सम्भव नहीं हो पाया।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

मार्कचि
शुभ आशा
15/02/2025

भवदीय

(डी०पी० बन्नी)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू उप वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
पत्रांक- 607/12-1, कोटबंगला, दिनांक 30/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्चालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्चालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-1469/12-1 दिनांक 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा लो०नि०वि० के कर्मचारियों के साथ सम्बन्धित मार्ग का निरीक्षण किया गया। गोरुण गांव के समीपस्थ मोटर मार्ग चिन्चालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग है, उक्त मोटर मार्ग से ही गोरुण गांव तक नया मार्ग प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड शासन के मार्ग निधि के अनुसार सड़क से 100 मी० उर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ माना जायेगा।

उक्त तथ्य का परीक्षण करने के लिये चिन्चालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग पर गोरुण गांव के समीपस्थ बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1617 मी० जी०पी०एस० द्वारा ज्ञात हुई, इसी प्रकार उक्त मोटर मार्ग से गोरुण गांव के समीपस्थ बिन्दु का मौके पर चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1503 मी० जी०पी०एस० द्वारा ज्ञात हुई। जिससे स्पष्ट होता है कि गोरुण गांव की निकटस्थ मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी लगभग 114 मी० है। उक्त दूरी 100 मी० के समीप ही है, जिस कारण यदि दूरी ज्ञात करने के लिये बिन्दुओं का चयन सही प्रकार से नहीं किया जाता है, तो उक्त दूरी ज्ञात करने में असमानता आ सकती है। पूर्व में अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिन्दुओं का चयन कर लिये जाने के कारण उक्त दूरी में परिवर्तन प्रदर्शित हो रहा था। वर्तमान में चयनित किये गये बिन्दुओं को गूगल मैप पर दर्शाकर मैप को रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
धरासू उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - ceedpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1926/1 सी०

दिनांक - 31/12/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वनभूमि का गैर वानिकी हेतु लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1469/12-1कोटबंगला, दिनांक 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग की संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Diwan
शु० का० का० कारे।

पत्रांक:-

1926/1/25

तददिनांकित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि-1. अधीक्षण अभियन्ता, 6वॉ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी वनप्रभाग, कोटबंगला उत्तरकाशी के पत्रांक 1469/12-1 कोटबंगला दिनांक 18.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) में स्वीकृत मोटर मार्ग का दिनांक 31.12.2024 संयुक्त निरीक्षण किया जिसमें वन विभाग की ओर से उपप्रभागीय वनाधिकारी श्री मयंक गर्ग एवं लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड की ओर से इं० मोहन सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता व इं० पीयूष नेगी, अपर सहायक अभियन्ता सम्मिलित हुए। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्यालीसौड जोगथ मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई एवं कोर्डिनेट क्रमशः 1617 मीटर एवं $30^{\circ}32'48''N$, $78^{\circ}24'04''E$ आ रही है। इसी क्रम में गोरुण गांव के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई एवं कोर्डिनेट क्रमशः 1503 मीटर एवं $30^{\circ}32'42''N$, $78^{\circ}23'55''E$ आ रही है। और उपरोक्त चयनित बिन्दुओं के बीच की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर आ रही है ।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(इं० पीयूष नेगी)

अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)



(इं० मोहन सिंह चौहान)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)



(श्री मयंक गर्ग)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
डुण्डा, उत्तरकाशी



existing m/r chinyali jogath 30 D 32 M 48 S N 78 D 24 M 04 S


Gorun 30 D 32 M 42 S N 78 D 23 M 55 S E

Government Primary School, Gorun Pokhan

Handwritten signature
AAE

Handwritten signature

Handwritten signature



कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerrddn@gmail.com,

Phone/Fax: 0135 2767611



पत्रांक- 2299 /12-1 : देहरादून: दिनांक:

28 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून।

विषय- जनपद-उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्धालीसौड़ के अंतर्गत चिन्धालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक-8बी/यू. सी.पी. /06/132/2021/एफ.सी./., दिनांक-22.02.2024।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में 04 बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। जिसकी सूचना वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र सं0 1703/12-1, दिनांक-18.02.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के पत्र दिनांक-06.02.2025(प्रति संलग्न) के द्वारा बिन्दुवार इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गयी है :-

क्र0 सं0	आपत्ति	निराकरण आख्या
1	Administrative approval uploaded online is of 2014. State Government shall re-validate the same and upload new administrative approval.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश पुनः सत्यापन करवाने का प्राविधान नहीं है। जिस कारण उक्त शासनादेश सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं है।
2	The State Govt. Submitted that path distance of village is 1.5 km. Further state that vertical height is 150-200 meter. However, on perusal of KML file, the height appears to be less tan 100 meters. It shall be clarified.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त के अनुपालन में वन विभाग तथा प्रयोक्ता विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्धालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी0पी0एस0 कॉर्डिनेटस क्रमशः 1617 मी0 एवं 30°32'48"N, 78°24'04"E पाई गई, इसी क्रम में गोरुण गांव के प्रारम्भिक बिन्दु का चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी0पी0एस0 कॉर्डिनेटस क्रमशः 1503 मी0 एवं 30°32'42"N, 78°24'55"E पायी गयी जिससे स्पष्ट होता है कि चिन्धालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर है।(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है)संलग्नक-01
3	A detailed map showing the location of the village exisiting road and the distance between them shall be submitted.	वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा अवगतनीय है कि उक्त शर्त के अनुपालन में मौजूदा मोटर मार्ग (चिन्धालीसौड़- जोगथ मोटर मार्ग) एवं गोरुण गांव को प्रदर्शित करती हुयी गूगल फोटोग्राफस संलग्न है।(संलग्नक-02)

AS(K) for

कार्यालय प्रमुख अधिकारी
पत्र सं0 2299/2025
दिनांक 25/3/2025

JS/SOFF

श्री अशोक गौड़

905/AS/FE/2025

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तराखण्ड
मुख्य कार्यालय, देहरादून

4	The user agency shall give detailed presentation giving justification about the proposal road on dt. 27.02.2024 at 3:00 PM in this office.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक-8 बी/यू.सी.पी./06/132/2021/एफ0सी0/1491, दिनांक-22.02.2024 के माध्यम से दिनांक-27.02.2024 अपराह्न 3.00 बजे चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण के संदर्भ में presentation देने के निर्देश हेतु सुचित किया गया था, किन्तु उक्त संदर्भित पत्र इस कार्यालय में दिनांक-20.09.2024 को विलम्ब से प्राप्त हुआ, जिस कारण presentation देना संभव नहीं हो पाया।
---	--	--

अतः सूचना संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती एवं प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी द्वारा प्रेषित सूचना के क्रम में प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या : 2299 / 12-1/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वन अनुभाग-03 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड मुनिकीरेती के पत्र संख्या-1703/12-1, दिनांक-18.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी।

भवदीय,

(आर0के0मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।



कार्यालय वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती

Phone & Fax no. 0135-2431159

उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्पलाईन न०-1800890915(टोल फ्री)

E-mail: cfbhagi-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं०: 1703/12-1

मुनिकीरेती,

दिनांक 18/02/2025

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्रांक-08बी०/यू०सी०पी०/06/132/2021/एफ०सी०/1491, दिनांक 22.02.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर 04 बिन्दुओं की आख्या अपेक्षित है, जिसके अनुपालन में प्रस्ताव में जारी कमियों के निराकरणोपरान्त, बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी के द्वारा अपने पत्रांक-2629/12-1 दिनांक 06.02.2025 से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी। उक्त का अवलोकन करने के उपरान्त वांछित सूचना संस्तुति सहित मय संलग्नकों के इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण पर अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

कार्य प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड

देहरादून
पत्रांक सं० 3559
पत्रांक सं० 12-1
दिनांक 18-2-25

भवदीय

(धर्म सिंह मीणा)

वन संरक्षक

पत्रांक:-

1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आवकाश के

पु० न० सी० पी० अ०

18-2-2025

वन संरक्षक

भागीरथी वृत्त मुनिकीरेती।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी

E.Mail. dfouttarkashid@gmail.com Fax No-01374-222964 Tel.No- 01374-222444

पत्रांक-2629/12-1, कोटबंगला, दिनांक 06/02/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,
भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड,
मुनिकीरेती।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक-8बी./यू.सी.पी./06/132/2021/एफ.सी./1491, दिनांक- 22.02.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से विषयगत मोटर मार्ग में 04 बिन्दुओं पर आख्या चाही गई थी, जिसकी निराकरण आख्या याचक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्र- 161/3एल०ए०, दिनांक- 05.02.2025 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित की गई है जिसकी बिन्दुवार निराकरण आख्या निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Administrative approval uploaded online is of 2014. State Government shall re-validate the same and upload new administrative approval.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश पुनः सत्यापन करवाने का प्राविधान नहीं है, जिस कारण उक्त शासनादेश सत्यापन करवाया जाना संभव नहीं है।
2	The State Govt. submitted that path distance of village is 1.5 km. Further stated that vertical height is 150-200 meter. However, on perusal of KML file, the height appears to be less than 100 meters. It shall be clarified.	उक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि वन विभाग तथा प्रयोक्ता विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा मौके का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी०पी०एस० कॉर्डिनेटस क्रमशः 1617 मी० एवं 30°32'48"N, 78°24'04"E पाई गई इसी क्रम में गोरुण गांव के प्रारम्भिक बिन्दु का चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई एवं जी०पी०एस० कॉर्डिनेटस क्रमशः 1503 मी० एवं 30°32'42"N, 78°23'55"E पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण गांव की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर है। संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
3	A detailed map showing the location of the village, existing road and the distance between them shall be submitted.	उक्त के अनुपालन में मौजूदा मोटर मार्ग (चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग) एवं गोरुण गांव को प्रदर्शित करती हुई गूगल फोटोग्राफस संलग्न है।
4	The user agency shall give detailed presentation giving justification about the proposal road on dt. 27.02.2024 at 3:00 PM in this office.	उक्त के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक- 8बी./यू.सी.पी./06/132/2021/एफ.सी./1491, दिनांक- 22.02.2024 के माध्यम से दिनांक- 27.02.2024 अपराह्न 3:00 बजे चिन्यालीसौड़-जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण के सन्दर्भ में Presentation देने के निर्देश हेतु सूचित किया गया था, किन्तु उक्त सन्दर्भित पत्र इस कार्यालय में दिनांक- 20.09.2024 को विलम्ब से प्राप्त हुआ, जिस कारण Presentation देना सम्भव नहीं हो पाया।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

महोदय
उत्तराखण्ड
15/02/25

भूमदीय
(डी०पी० बहानी)

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

कार्यालय उप प्रभागीय वनाधिकारी, धरासू उप वन प्रभाग, उत्तरकाशी।

पत्रांक- 607/12-1, कोटबंगला, दिनांक 30/01/2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्यालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक-1469/12-1 दिनांक 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार दिनांक 31.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा लो०नि०वि० के कर्मचारियों के साथ सम्बन्धित मार्ग का निरीक्षण किया गया। गोरुण गांव के समीपस्थ मोटर मार्ग चिन्यालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग है, उक्त मोटर मार्ग से ही गोरुण गांव तक नया मार्ग प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड शासन के मार्ग निधि के अनुसार सड़क से 100 मी० उर्ध्वाधर दूरी से कम दूरी के गांव को मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ माना जायेगा।

उक्त तथ्य का परीक्षण करने के लिये चिन्यालीसौड़-जोगत मोटर मार्ग पर गोरुण गांव के समीपस्थ बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1617 मी० जी०पी०एस० द्वारा ज्ञात हुई, इसी प्रकार उक्त मोटर मार्ग से गोरुण गांव के समीपस्थ बिन्दु का मौके पर चयन किया गया, जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई 1503 मी० जी०पी०एस० द्वारा ज्ञात हुई। जिससे स्पष्ट होता है कि गोरुण गांव की निकटस्थ मोटर मार्ग से उर्ध्वाधर दूरी लगभग 114 मी० है। उक्त दूरी 100 मी० के समीप ही है, जिस कारण यदि दूरी ज्ञात करने के लिये बिन्दुओं का चयन सही प्रकार से नहीं किया जाता है, तो उक्त दूरी ज्ञात करने में असमानता आ सकती है। पूर्व में अलग-अलग समय पर अलग-अलग बिन्दुओं का चयन कर लिये जाने के कारण उक्त दूरी में परिवर्तन प्रदर्शित हो रहा था। वर्तमान में चयनित किये गये बिन्दुओं को गूगल मैप पर दर्शाकर मैप को रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी
धरासू उप वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com

Phone/Fax No. - 01371-237084

पत्रांक 1926/1 सी०

दिनांक - 31/12/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय:- जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्धालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्धालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.5225 हे० वनभूमि का गैर वानिकी हेतु लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 1469/12-1कोटबंगला, दिनांक 18.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्धालीसौड़ के अन्तर्गत चिन्धालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग की संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

Diman
शु० का० का०/कारे।

पत्रांक:-

12-11/01/25

तद्दिनांकित

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रतिलिपि-1. अधीक्षण अभियन्ता, 6वाँ वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


2. सहायक अभियन्ता, प्रथम निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चिन्धालीसौड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्धालीसौड़ (उत्तरकाशी)।

संयुक्त निरीक्षण आख्या

प्रभागीय वनाधिकारी वनप्रभाग, कोटबंगला उत्तरकाशी के पत्रांक 1469/12-1 कोटबंगला दिनांक 18.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जनपद उत्तरकाशी में विकासखण्ड चिन्यालीसौड के अन्तर्गत चिन्यालीसौड जोगथ मोटर मार्ग से गोरुण तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) में स्वीकृत मोटर मार्ग का दिनांक 31.12.2024 संयुक्त निरीक्षण किया जिसमें वन विभाग की ओर से उपप्रभागीय वनाधिकारी श्री मयंक गर्ग एवं लो०नि०वि०, चिन्यालीसौड की ओर से इं० मोहन सिंह चौहान, सहायक अभियन्ता व इं० पीयूष नेगी, अपर सहायक अभियन्ता सम्मिलित हुए। निरीक्षण के दौरान गोरुण गांव से चिन्यालीसौड जोगत मोटर मार्ग के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई एवं कोर्डिनेट क्रमशः 1617 मीटर एवं $30^{\circ}32'48''N$, $78^{\circ}24'04''E$ आ रही है। इसी क्रम में गोरुण गांव के निकटतम बिन्दु का चयन किया गया जिसकी समुद्र तल से ऊँचाई एवं कोर्डिनेट क्रमशः 1503 मीटर एवं $30^{\circ}32'42''N$, $78^{\circ}23'55''E$ आ रही है। और उपरोक्त चयनित बिन्दुओं के बीच की उर्ध्वाधर दूरी 114 मीटर आ रही है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर सूचनार्थ प्रेषित।



(इं० पीयूष नेगी)
अपर सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)



(इं० मोहन सिंह चौहान)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)



(श्री मयंक गर्ग)
उपप्रभागीय वनाधिकारी
डुण्डा, उत्तरकाशी



Handwritten signatures and initials:

- Handwritten signature: "Hand" (with a flourish)
- Handwritten signature: "Kish" (with a flourish)
- Handwritten signature: "S" (with a flourish)